न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 55 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 135

किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 30.09.2024

1. कैलाश पुत्र महाराजसिंह जाति जाट निवासी कैलूरी तहसील नदबई (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. द्रौपती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी कैलूरी हाल निवासी पत्नि मोहनसिंह जाति जाट निवासी हन्तरा तहसील नदबई (भरतपुर)
2. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई
3. सबरजिस्ट्रार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री श्यामसिंह एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री अशोक कुमार एडवो0 (अप्रार्थीगण की ओर से)

:: निर्णय:: प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत् पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है–

1. यह है कि विवादित आराजी खाता सं. 137 [illegible] राज[illegible] सरा न. 619 रकवा 0.26, 620 रकवा 0.26, 67[illegible] 0.18, 759 रक[illegible]9, 769 रकवा 0.59, 794 रकवा 0.23, 832 रकवा 0.31, 8[illegible] रकवा 0.18, 808 रकवा 0.16, किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:26 IST
Reason: SelfAttested

30/9/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

9 रकवा कुल 2.57 है. व खाता सं. 138 के आराजी खसरा न. 473 रकवा 1.55, 513 रकवा 0.29, 514 रकवा 0.31, कुल किता 3 रकवा कुल 2.15 व खाता सं. 139 के आराजी खसरा न. 834 रकवा 1.45, व खाता सं. 140 के आराजी खसरा न. 776 रकवा 0.31 व खाता सं. 310 के आराजी खसरा न. 723 रकवा 0.13 है, 724 रकवा 0.35 है. 731 रकवा 0.13, 732 रकवा 0.11 कुल किता 4 रकवा कुल 0.72 व खाता सं. 338 के आराजी खसरा न. 708 रकवा 0.18, 709 रकवा 0.21, 920 रकवा 0.46, 921 रकवा 0.22 किता 4 रकवा कुल 1.07 व खाता सं. 314 के आराजी खसरा न. 318 रकवा 0.31, 320 रकवा 0.34, 722 रकवा 0.13, 725 रकवा 0.23 किता 4 रकवा कुल 1.01 है. वाके मौजा कैलूरी तहसील नदबई में स्थित है। छाया जमाबंदी 2076–2079 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

2. यह कि विवादित आराजी सायल व गैरसायल सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 24 की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है जिस पर सायल व गैरसायल अब तक मनबट के आधार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर अपने अपने हिस्सों पर काबिज है, लेकिन अब गैरसायलान के मन में बद्धांति आ गई है तथां गैरसायलान आये दिन सायल से डौर मेंढ को लेकर विवादित आराजी के उपजाऊ हिस्से को रहनवयमुन्तकिल करने को लेकर झगडा करते हैं तथा विवादित आराजी मे से उपजाउ भूमि पर काश्त करने से रोकते हैं तथा सायल को उसके मनबट के हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देते हैं, ऐसी स्थिति में सायल विवादित आराजी के हाल जमाबंदी में दर्ज हिस्सों के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुरेजात करवाकर वाई मीट्स एण्ड वाउन्ट कानूनी बटवारा करा पाने का अधिकारी है तथा अपने कुरे की खातेदारी अपने नाम न्यारानूर दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

3. यह कि गैरसायलान ने सायल को दिनांक 19.06.2024 को व मुकाम कैलूरी पर खुलेआम धमकी दी है कि वह विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल करके रहेंगे और स्ट्रेन्जर परचेजर को सायल के [illegible] हिस्से पर कब्जा देकर उसके हिस्से पर कब्जा करके उसके हिस्से से [illegible] करके रहेंगे तथा सायल को काश्त नहीं करने देंगे [illegible] धमकी दी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:26 IST
Reason: SelfAttested

30/9/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

धमकी में कामयाब हो तो सायल को अजीम क्षति होगी, जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

4. यह कि प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में है। अतः गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह आराजी मुतनाजा मद सं. 2 की आराजी को ताफैसला वाद रहन वयमुन्तकिल नहीं करें व व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 की तरफ से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुये, जिनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस प्रकार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में विवादित आराजी का ग्राम कैलूरी का होना स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में मनवट के आधार पर काबिज होकर काश्त करना तथा मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज होना स्वीकार है।
3. यह कि मद सं. 3 में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को दिनांक 19.06.24 को वामुकाम कैलूरी में या अन्य किसी तिथि को किसी भी स्थान पर धमकी नहीं दी है। इसलिये दावा लाने का कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होता है।
4. यह कि प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 की आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात है तथा सभी सहखातेदार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मनवट से काबिज होकर अपने हिस्से अनुसार मौके पर काश्त कर रहे हैं जिसके बाबत प्रार्थी द्वारा अपने दावा की मद सं. 3 में स्वीकारोक्ति है, इसलिये हिस्से अनुसार [illegible] बटवारा करा पाने के अधिकारी है।
6. यह कि कानूनन अप्रार्थी [illegible] से एक सहखातेदार को किसी भी स्थिति में अपने हिस्से से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:26 IST
Reason: SelfAttested

30/9/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रहनवयमुतकिल करने से पाबंद नहीं किया जा सकता है, प्रत्येक सहखातेदार अपने हिस्से को रहनवयमुनतकिल करने के लिये स्वतंत्र है।

7. यह कि प्रार्थी ने उक्त दावा अप्रार्थी को अवैद्यानिक तरीके से गलत तथ्य छिपाकर न्यायाल को गुमराह करने बाबत बद्धांतिपूर्वक पेश किया गया है जो काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2076–2079 वाके ग्राम कैलूरी तहसील नदबई पेश किए।

हमने उभयपक्षकारान के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी वकील की ओर से अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि

1. **प्राईमाफेसी केस** :– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत अपने वाद पत्र 53, 188 के तहत् बंटवारे को लेकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी खाता सं. 137 के आराजी खसरा न. 619 रकवा 0.26, 620 रकवा 0.26, 676 रकवा 0.18, 759 रकवा 0.49, 769 रकवा 0.59, 794 रकवा 0.23, 832 रकवा 0.31, 890 रकवा 0.18, 808 रकवा 0.16, किता 9 रकवा कुल 2.57 है. व खाता सं. 138 के आराजी खसरा न. 473 रकवा 1.55, 513 रकवा 0.29, 514 रकवा 0.31, कुल किता 3 रकवा कुल 2.15 व खाताा सं. 139 के आराजी खसरा न. 834 रकवा 1.45, व खाता सं. 140 के आराजी खसरा न. 776 रकवा 0.31 व खाता सं. 310 के आराजी खसरा न. 723 रकवा 0.13 है, 724 रकवा 0.35 है. 731 रकवा 0.13, 732 रकवा 0.11 कुल किता 4 रकवा कुल 0.72 व खाता सं. 338 के आराजी खसरा न. 708 रकवा 0.18, 709 रकवा 0.21, 920 रकवा 0.46, 921 रकवा .0.22 किता 4 [illegible] 1.07 व खाता सं. 314 के आराजी खसरा न. 318 रकवा 0.31है., 320 [illegible] 0.34, 722 रकवा 0.13, 725 रकवा 0.23 किता 4 रकवा कुल [illegible] है. [illegible] मौजा कैलूरी तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर अप्रार्थी [illegible] के पर काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:26 IST
Reason: SelfAttested

30/9/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मनवट के आधार पर काश्त कर रही है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात है। मौके पर काश्त में कोई विवाद नहीं है। विवादित आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का अपने हिस्से पर समान अधिकार है। प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से का रहन वय मुंतकिल करने से नहीं रोका जा सकता है। प्रत्येक सहखातेदार कानूनी एवं वैधानिक रूप से अपने हिस्से की आराजी का ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र है। एक सहखातेदार को रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता। प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित नहीं होकर अप्रार्थीगण के हक में साबित है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के हक में है । अप्रार्थी वर्तमान में सहखातेदार है। अतः सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित है।

2. **अपूर्ण क्षति** – अप्रार्थीगण एक रिकॉर्डेड खातेदार है अगर उक्त स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो अपने खातेदारी अधिकारो का कुठारघात होगा जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 25.06.20124 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.24 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

30/9/24

(... धर मीना R.A.S.)

... अधिकारी, नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner